<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक-598 / 2012</u> संस्थित दिनांक -20.07.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी,
जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — अभियोजन

// विरूद्ध //
चैनसिंह पिता समेलाल मरकाम, उम्र 22 वर्ष,
सािकन—डुड़वा थाना गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — <u>आरोपी</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-03/02/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506(भाग—दो) का आरोप है कि उसने घटना दिनांक—15.07.2012 को समय सुबह 8:30 बजे प्रार्थी की ससुराल ग्राम पंडरी थाना गढ़ी अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप प्रार्थी रामिसंह को तेरी मां—बहन को चोदू के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, धारदार हथियार चाकू से आहत रामिसंह को हाथ में मारकर स्वैच्छया उपहित कारित किया तथा प्रार्थी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक—15.07. 2012 को समय सुबह 8:30 बजे प्रार्थी की ससुराल ग्राम पंडरी थाना गढ़ी अंतर्गत प्रार्थी रामसिंह अपने साले आरोपी के घर पर रूका था। आरोपी शराब पीकर आया और अपने परिवार को साथ में लेकर नहीं जाता कहकर उसे गंदी—गंदी गालियां दिया और चाकू से मारपीट किया तथा जान से मारने करने की धमकी दिया। उक्त घटना में प्रार्थी रामसिंह के हाथ में चोट आयी और खून निकलने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी / आहत रामसिंह के द्वारा थाना गढी में की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—41 / 2012, धारा—294, 324, 506, भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लिये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र

न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506(भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरानी प्रार्थी रामिसंह ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को धारा—294, 506(भाग—दो) भा.द.वि. के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध धारा—324 भा.द.वि. का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूटा फॅसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक—15.07.2012 को समय सुबह 8:30 बजे प्रार्थी की ससुराल ग्राम पंडरी में आहत रामसिंह को धारदार चाकू से मारकर स्वैच्छया उपहित कारित किया ?

विचारणीय बिन्दू का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी / आहत रामसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। आरोपी रिश्ते में उसका साला लगता है। घटना पिछले वर्ष सातवे माह के 15 तारीख की है। वह कमाने—खाने रायपुर गया था वहां से रात में एक बजे वास आया तो अपने ससुराल में खाना खाकर सो गया था। फिर अगले दिन सुबह 8 बजे जब खाना खा रहे थे, तब आरोपी ने अपने परिवार को रायपुर नहीं ले जाता है, अकेला जाता है, हम लोग तेरे परिवार का भरण—पोषण करते है, कहकर झगडा करने लगा। आरोपी ने उसे झगडे के दौरान मारपीट कर उसे चाकू से मारा। उसने आरोपी को पकड़ने की कोशिश किया तो उक्त चाकू उसके हाथ में लग गया। उसके द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 थाना गढ़ी में दर्ज करवायी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी चोटो का मुलाहिजा करवाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान प्रदर्श पी—2 लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय उसकी आरोपी से झूमा—झपटी हो रही थी और उसी झूमा—झपटी में चाकू उसके हाथ में लग गया था, जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने उसे यह जानकारी न होना व्यक्त किया है कि आरोपी ने चाकू साथ लाया था। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा उसे चाकू से मारने तथा आरोपी को पकड़ने की कोशिश में उक्त चाकू उसके हाथ में लगने के कथन किये हैं, किन्तु प्रतिपरीक्षण में साक्षी का यह कथन है कि आरोपी ने चाकू साथ में लाया था या नहीं उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने झूमा—झपटी में चाकू हाथ में लगने के कथन किये हैं। इस प्रकार उक्त संपूर्ण कथन को एक साथ परिशीलन किये जाने पर यह प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित चाकू मारकर आहत रामिसंह को चोट पहुंचाए जाने का तथ्य परस्पर विरोधाभास पूर्ण है। साक्षी के कथन से केवल यह प्रकट होता है कि उसे झूमा—झपटी के

दौरान चाकू लगा था और जिस कारण चोट कारित हुई थी।

- 7— आहत रामसिंह का परीक्षण करने वाले चिकित्सीय साक्षी डाक्टर एन.एस. कुमरे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—15.07.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी के आरक्षक अमित कमांक—724 द्वारा आहत रामसिंह पिता समारू सिंह को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था, जिस पर उसके द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। आहत के दाहिने हाथ के पंजे पर अंदर की ओर एक कटी—फटी चोट पाया था। उसके द्वारा आहत को एक्सरे की सलाह दी गई थी। उसके मतानुसार आहत को आयी चोट कडी एवं धारदार वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इस चिकित्सीय साक्षी के कथन में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत रामसिंह को धारदार वस्तु से उसके हाथ में साधारण उपहित कारित हुई थी।
- 8— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी आयताबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना पिछले साल बारिश के समय दिन की है। उसका दामाद रामिसंह और आरोपी के बीच खाना खाते समय विवाद हो गया था। आरोपी ने गुस्से में आकर चाकू लाया और दामाद रामिसंह को मार दिया था, जिससे उसके हाथ हथेली में चोट आयी थी और खून निकलने लगा था। उक्त घटना की रिपोर्ट रामिसंह ने थाने में की थी। पुलिस ने मौके पर आकर उससे पूछताछ की थी और उसका बयान लिया था। घटना के समय वह घर पर थी तथा उसके द्वारा बीच—बचाव किया गया था।
- 9— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि झगड़ा होते समय वह घर के अंदर थी, उसने झगड़ा होते हुए नहीं देखा। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि किसने किसको चाकू मारा वह नहीं बता सकती। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह घटना के बाद आई थी और रामिसंह ने उसे घटना के बारे में बताया था। इस प्रकार साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में अत्यन्त विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी ने घटना उसके सामने घटित होना और मारपीट होने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।
- 10— सुभागनी (अ.सा.3) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी चैनसिंह उसके रिश्ते में भाई लगता है। आहत रामसिंह उसका पित है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को रामसिंह अपनी ससुराल आया था, तब आरोपी और रामसिंह के बीच झगडा हो गया था। घटना के समय वह नहाने चली गई थी, झगडा कैसे हुआ उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने घटना के समय सब्जी काटने वाले चाकू से रामसिंह को मारने का प्रयास किया, जिससे उसके हाथ की हथेली कट गई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 से इंकार किया है। साक्षी ने

प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसके पित को गिरने से चोट आई हो तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय मारपीट होने से तथा आरोपी के द्वारा आहत रामिसंह को चाकू से मारकर उपहित कारित करने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

11— अनुसंधानकर्ता खेमराज (अ.सा.4) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—16.07.2012 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा आयताबाई की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका प्रदर्श पी—4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आयताबाई, रामिसंह, शुभागनीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसक द्वारा दिनांक—17.07.2012 को आरोपी से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—5 के अनुसार एक चाकू जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

मामले में महत्वपूर्ण साक्षी फरियादी / आहत रामसिंह (अ.सा.1) की परस्पर विरोधाभासी कथन से यह तथ्य प्रकट होता है कि आरोपी और उसके मध्य झूमा-झपटी में उसे धारदार चाकू से उसके हाथ में चोट कारित हुई थी, किन्तु उक्त चोट आरोपी के द्वारा कथित चाकू से मारने के कारण कारित हुई, इस तथ्य का स्पष्ट कथन उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपी के हाथ में घटना के समय कथित चाकू था या नहीं उसे जानकारी नहीं है। इसके अलावा अभियोजन की ओर से अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण आयताबाई (अ.सा.2) एवं सूभागनी (अ.सा. 3) ने अपनी साक्ष्य में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उक्त चक्षुदर्शी साक्षीगण के घटना के समय मौके पर उपलब्ध होने एवं आहत के निकट रिश्तेदार होने के बावजूद भी उन्होंने अभियोजन मामले का चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन न किये जाने से भी मामला संदेहास्पद प्रकट होता है। अभियोजन की ओर से यह तथ्य प्रमाणित किया गया है कि घटना के समय आहत रामसिंह के हाथ में धारदार वस्तु से साधारण उपहति कारित हुई थी। यद्यपि फरियादी के विरोधाभासी कथन एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण से आरोपी के द्वारा कथित चाकू से उपहति कारित करने की पुष्टि के अभाव में एवं मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी व चिकित्सा अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला युक्ति युक्त संदेह से प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया हैं कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादी रामसिंह को चाकू से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—324 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

14— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लोहे का चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट